संख्या-272/2026/1145/22-2-2025-17(946)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 मार्च,2026

विषयः- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बिजेन्द्र पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 25-04-2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बिजेन्द्र पुत्र श्री कर्म सिंह, ग्राम-योगेन्द्र नगर, थाना-भोपा, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 13.01.1992 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सारा सामान सौंपने की धमकी दी। पीडितों द्वारा पहचान लेने पर लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-328/1992 में भा०द०वि० की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के दण्डादेश दिनांक 23.03.1993 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17.01.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी अन्य वाद अ०सं०-538/08, भा०द०वि० धारा-307, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर में 02 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 2000/- अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2024 तक अपरिहार 11 वर्ष, 02 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्य रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बिजेन्द्र (बन्दी संख्या-5120/14) पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-272/2026/1145(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।